प्रारूप – 1

कार्यालय जिलाधिकारी गोण्डा।
(खनन अनुभाग)

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

संख्याः– 115 /खनिज –ई–निविदा/2024–25 दिनांक–19 मार्च, 2025

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गोण्डा में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–781/86–2020–14(सा0)/2020 दिनांकः–23 मई 2020 में दिये गये निर्देशानुसार (अधिकतम 06 माह) की अल्प अवधि के लिये अधिसूचना सं0–1157/86–2021–03 (सा)/2021 दिनांक–29–10–2021 द्वारा नियम–23(2)(क) में संशोधन सम्बन्धी उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 प्रख्यापित की गयी है। उक्त संशोधन सहित नियम–23(2)(क). ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा **दिनांक 22/03/2025– 28/03/2025 के सांय 5 बजे (06 कार्य दिवस) तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर दूसरी बार ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।**

क्षेत्र का विवरण :–

क्र0 सं0	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				नियमावली – 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घनमी0)	खनन योग्य आकलित उपखनिज का मात्रा (घनमी0 में) – (वार्षिक खनिज की मात्रा/12) ×6	आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूपयों में। (रायल्टी दर × आंकलित उपखनिज की मात्रा)	प्री बिड अर्नेस्ट मनी (कालम 10 में अंकित आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं0/ खण्ड सं0/ जोन सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	सा0 बालू	घाघरा नदी	तरबगंज	दुर्गागंज	2769मि.	24.000	65.00	1,72,800	1,12,32,000	56,16,000
02	सा0 बालू	घाघरा नदी	तरबगंज	सोनौली मोहम्मदपुर	6191क्ष	6.000	65.00	54,000	35,10,000	17,55,000
03	सा0 बालू	घाघरा नदी	तरबगंज	सोनौली मोहम्मदपुर	6186ज	6.000	65.00	54,000	35,10,000	17,55,000
04	सा0 बालू	घाघरा नदी	तरबगंज	माझाराठ	676	14.590	65.00	1,31,310	85,35,150	42,67,575
05	सा0 बालू	घाघरा नदी	तरबगंज	तुलसीपुर माझा	4119	38.440	65.00	2,76,768	1,79,89,920	89,94,960

क्षेत्र का जियोकॉर्डिनेट्स

ग्राम का नाम	Name of Pillars	Latitude	Longitude
1.दुर्गागंज	A	N 26° 48' 48.06"	E-82° 11' 23.03"
	B	N 26° 48' 39.20"	E-82° 11' 22.70"
	C	N 26° 48' 38.60"	E-82° 10' 51.10"
	D	N 26° 48' 47.70"	E-82° 10' 51.50"

ग्राम का नाम	Name of Pillars	Latitude	Longitude
2.सोनौली मोहम्मदपुर	A	N 26° 53' 34.93"	E-81° 46' 43.68"
	B	N 26° 53' 32.20"	E-81° 46' 40.03"
	C	N 26° 53' 21.82"	E-81° 46' 55.01"
	D	N 26° 53' 20.56"	E-81° 46'50.83"

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम का नाम	Name of Pillars	Latitude	Longitude
3.सोनौली मोहम्मदपुर	A B C D	N 26° 53' 20.29" N 26° 53' 14.63" N 26° 53' 10.11" N 26° 53' 14.99"	E-81° 46' 56.83" E-81° 46' 49.38" E-81° 46' 59.78" E-81° 47' 03.16"

ग्राम का नाम	Name of Pillars	Latitude	Longitude
4.माझाराठ	A B C D E	N 26° 48' 59.63" N 26° 48' 56.19" N 26° 48' 59.12" N 26° 49'3.39" N 26° 49'5.30"	E-82° 7' 19.47" E-82° 7' 38.50" E-82° 7' 46.73" E-82° 7' 47.81" E-82° 7' 25.79"

ग्राम का नाम	Name of Pillars	Latitude	Longitude
5.तुलसीपुर माझा	A B C D	N 26° 47' 25.20" N 26° 47' 29.49" N 26° 47' 9.10" N 26° 47' 11.72"	E-82° 2' 17.49" E-82° 2' 45.50" E-82° 2' 45.84" E-82° 2' 20.79"

1—अनुज्ञा पत्र की अवधि (मानसून सत्र जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम् 06 माह के लिए होगी ।

2—जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मोरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापत्ति की मात्रा अनुमन्य होगी ।

3—किसी क्षेत्र के ई —निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रूप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग—अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग—अलग अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा ।

4—ई—निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मोरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई—निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5—यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई — निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई—निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:—

(क) ई — निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा ।

(ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई—निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0 डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।

(ग) बिडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डस ई—निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है ।

(घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

6— निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई०डी० लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारूप—2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :—

<u>प्रारूप—2 की सूचनायें:—</u>

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

Scanned with OKEN Scanner

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई – मेल एवं मो० नं०।
घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गयी है।
ड. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू० 2000/–का चालान संख्या व दिनांक।
च. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।
छ. पैन कार्ड का क्रमांक।
ज. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।
झ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

<u>स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र</u> :–

क. ई – निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रू0 – 2,000/– का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।
ख. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।
ग. पैन कार्ड।
घ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
ड. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा ।

7. विज्ञप्ति के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।
8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–6 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारूप– 2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।
9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्य दिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई–निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।
10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा ।
11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा ।
12. प्राप्त ई–निविदा के अनुसार 06 माह के लिए देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी०एम०एफ० एवं टी०सी०एस० देय होगा ।
13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापत्ति को अपने पक्ष में हस्तान्तरण कराना होगा। जिन क्षेत्रों के लिए पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त नही है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा – पत्रधारक से अनुज्ञा अवधि समाप्ति के उपरान्त पर्यावरणीय स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

14. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा ।
15. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।
16. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन ही खनन संक्रियाएं सम्पादित करेगा ।
17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा ।
18. मा० उच्चतम/उच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय–समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

20. ई–निविदा की कार्यवाही निर्धारित समयसारिणी के अनुसार सम्पन्न की जायेगी।

प्री–बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई निविदा से पूर्व **etenders up** में अपेक्षित प्री–बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क, **etenders.up.nic.in** की वेबसाईट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार बोलीदाता द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रथम चरण में ई–निविदा (ई–टेण्डर) की अवधि	दिनांक 22/03/2025 के पूर्वान्ह 10:00बजे से 28/03/2025 सॉयकाल 05:00बजे तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई–निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक 28/03/2025 को सॉयकाल 05:30 बजे

20– अन्य नियम एंव शर्तेः–

1– पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कोआर्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्भे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।

2– पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से तत्काल खनन संकियाऐं प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जानबूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

3– खनन क्षेत्र में उपलब्ध उपखनिज साधारण बालू की मात्रा का आगणन 02मी0 की गहराई के आधार पर किया गया है।, अतः उक्त व पर्यावरण के दृष्टिगत पट्टेदार द्वारा 02मी0 की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो से अधिक गहराई में खनन संक्रियाऐं नहीं करेगा।

4– जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

5– नदी की जलधारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

6– स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहा परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित किया जायेगा।

7– यदि पट्टा धारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा ,पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लघंन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।

8– मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।

9– नियम व शर्तो के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

10– राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा ययदि नियमों/अधिनियमों में द्वारा कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11— भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टेधारक द्वारा खनिजों की लोडिंग की जायेगी।

(नेहा शर्मा)
जिलाधिकारी,
गोण्डा।

पत्र संख्या एवं तददिनांकः—

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित : —

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०।
3. आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा।
4. निदेशक, सूचना, एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय (अयोध्या), भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।
7. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा को व्यापक प्रचार—प्रसार हेतु।
8. जिला सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी (NIC) गोण्डा को etenders.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार जनपद गोण्डा को व्यापक प्रचार—प्रसार कराने हेतु।
10. नाजिर सदर कलेक्ट्रेट कार्यालय गोण्डा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

/

जिलाधिकारी,
गोण्डा।

Scanned with OKEN Scanner

<u>प्रारूप–2</u>

साधारण बालू हेतु ई–निविदा प्रपत्र

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा ई–निविदा आमंत्रित की गयी हो	
2	विज्ञप्ति में क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या	
3	निविदाकार का नाम	
4	निविदाकार के पिता का नाम	
5	स्थायी पता	
6	वर्तमान पता	
7	मोबाइल नम्बर	
8	ई–मेल आई0डी0	
9	पैन कार्ड नम्बर	पैन कार्ड की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
10	पता का प्रमाण–पत्र(पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा) वोटर आई0डी0/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उनका पंजीकरण का विवरण।	पहचान–पत्र की स्कैन कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
11	जिस क्षेत्र के निविदा दी जानी है उसका विवरण क. उप खनिज का नाम– ख. जनपद का नाम– ग. तहसील का नाम– घ. ड्रेज्ड मैटिरियल भण्डारण का स्थल– ड. क्षेत्र क्रमांक/लाट संख्या–	
12	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र	घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
14	खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जा रही दर जो नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिए निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।	रू0– प्रति घन मी0 (अंको में) रू0– प्रति घन मी0 (शब्दों में)
15	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गई ड्रेज्ड मैटिरियल भण्डार की मात्रा	————घनमीटर
16	क्षेत्र में ड्रेज्ड मैटिरियल भण्डार की मात्रा को नियमावली के अनुसूची–1 में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 25 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राप का विवरण	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि —— बैंक का नाम व शाखा——— बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–
स्थानः–

निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by JAY SINGH
Date: 2025.03.19 23:12:56 IST
Location: Uttar Pradesh-UP